रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 1987/माघ 1, 1908
No. 22] NEW DELHI, WEDNESDAY, JAN. 21, 1987/MAGHA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1987

आदेश

का. आ. 23 (अ):—यतः केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि रसायन उद्योग के लिए स्थापित विकास परिषद् अस्तित्व में न रहें,

अतः अब औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के दिनांक 24 अगस्त, 1984 के आदेश सं. का. आ. 730 (ई) द्वारा स्थापित राष्ट्रीय रसायन विकास परिषद् को भंग करती है ।

[सं. 15022/22/83–रसायन-4]

जी. एस. सन्धु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

New Delhi, the 8th January, 1987

ORDER

S.O. 23(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the Development Council established for the Chemicals Industry should cease to continue in being;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby dissolves the National Development Council for Chemicals established by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers by Order Number S.O. 730(E), dated the 24th August, 1984.

[No. 15022|22|83-Ch. IV]

G. S. SANDHU, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987